

उत्तर प्रदेश शासन
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-5
संख्या-450/14-5-2019-पी-8/2006
लखनऊ, दिनांक: 03 जुलाई, 2019

कार्यालय ज्ञाप

पुनर्गठित नेशनल बैम्बू मिशन के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रदेश में बांस संवर्धन हेतु "राज्य स्तरीय बांस कार्यकारी समिति" निम्नानुसार गठित की जाती है :-

राज्य बांस कार्यकारी समिति
(State Bamboo Executive Committee)

1	मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन	अध्यक्ष
2	प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन	सदस्य
3	प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ०प्र० शासन	सदस्य
4	प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उ०प्र० शासन	सदस्य
5	प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ०प्र० शासन	सदस्य
6	प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन	सदस्य
7	प्रमुख सचिव, उद्यान विभाग, उ०प्र० शासन	सदस्य
8	प्रमुख सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उ०प्र० शासन	सदस्य
9	प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ०प्र० शासन	सदस्य
10	प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०	सदस्य
11	कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
12	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्ययोजना, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०	सदस्य
13	बांस उत्पादन, प्रसंस्करण, उत्पाद विकास, उद्योग विकास एवं विपणन से सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा मनोनीत विशेषज्ञ (संस्था के प्रतिनिधि/व्यक्ति विशेष) - दो (2)	सदस्य
14	कृषि उत्पादक संगठन (एफ०पी०ओ०) से सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा नामित प्रतिनिधि - एक (1)	सदस्य
15	राज्य मिशन निदेशक (शासन द्वारा नामित पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक या मुख्य वन संरक्षक स्तर के अधिकारी)	सदस्य सचिव

उक्त समिति राज्य में नेशनल बैम्बू मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन से सम्बन्धित नीति, नियोजन एवं मार्ग दर्शन के लिए रणनीतिक दिशा प्रदान करेगी तथा समिति वार्षिक कार्ययोजना का अनुमोदन प्रदान करेगी।

राज्य सरकार द्वारा नामित बांस विशेषज्ञ एवं कृषि उत्पादक संगठन (एफओपीओ) के प्रतिनिधि का कार्यकाल नामित किये जाने की तिथि से 02 वर्ष तक होगा।

अनूप चन्द्र पाण्डेय
मुख्य सचिव।

संख्या-450(1)/14-5-2019, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- सचिव, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
- 2- प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन।
- 3- प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 4- प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 5- प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 6- प्रमुख सचिव, उद्यान विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 7- प्रमुख सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 8- प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 9- प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 10- स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से
(कल्पना अवरथी)
प्रमुख सचिव।